राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 266/2015/जयपुर.

मैसर्स वसुन्धरा, एम. आई. रोड़, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (प्रशासन), तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर.
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री यशस्वी शर्मा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/04/2015

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'प्रशासनिक अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.11.2014 में पारित किये गये आदेश क्रमांक प.4( )उपा./प्रशा–III/कर/2011–12 दिनांक 09.12.2014 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत–बी, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2011–12 का कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु जारी किये गये नोटिस क्रमशः दिनांक 02.12.2013 सुनवाई दिनांक 18.12.2013 एवं दिनांक 30.01.2014 सुनवाई दिनांक 19.02.2014 की पालना में अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वेट अधिनियम की धारा 23/24, 55 व 58 के तहत एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.03.2014 को पारित करते हुए कुल रूपये 93,41,857/– की मांग सृजित की गयी। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश को खोलकर पुनः कर निर्धारण की स्वीकृति हेतु प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत दिनांक 24.11.2014 को प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र प्रशासनिक अधिकारी के आदेश दिनांक 09.12.2014 से इस आधार पर निरस्त किया गया कि बावजूद सूचना अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत है। प्रशासनिक अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि आलौच्य अवधि के कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई सम्मन अपीलार्थी पर तामील नहीं कराया गया एवं नोटिस तामील करवाये बिना ही अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध मांग सृजित की गयी है। अतः पारित किया गया एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी का प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने में भी विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. बहस के दौरान विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व प्रशासनिक अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2011—12 के कर निर्धारण करने के लिये नोटिस दिनांक 02.12.2013 सुनवाई दिनांक 18.12.2013 एवं 30.01.2014 सुनवाई दिनांक 19.02.2014 के लिये जारिये डाक जारी किये गये हैं, किन्तु उक्त नोटिस अपीलार्थी पर तामील होना नहीं पाये जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया यही माना जा सकता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त विपरीत पारित किया जाना प्रतीत होता है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रशासनिक अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2014 एवं कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 19.03.2014 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, इस आदेश प्राप्ति के 60 दिवस में नियमानुसार पुनः आदेश पारित करें।

8. निर्णय सुनाया गया।

13.04.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष